

2016/00157

20/11

वकील वादी उपस्थित होकर उत्तर पत्र वास्तु हेतु
दो वकालत पत्र पेश किया। वकील वादी को उत्तर पत्र पर
सुना गया। पत्रावली व उत्तर पत्र को इवलोकन करने
पर पाया कि उत्तर पत्र (सीकर योग्य होने के लिये) सीकर
किया जाता है। तथा वाद पत्र पुनः नया पर लेख के
आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली वास्तु जवाब
उत्तिकाही ख. दिनांक 27-10-17 को पेश हो।

हल

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

27/10/17

वकील वादी उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहित ही ख
अवसर-याप्यति के दिनांक लागू है। पत्रावली वास्तु जवाब
हेतु दिनांक 22/11/17 को पेश हो।

हल

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

22/11/17

वक. फ. मी. मय / पी. ओ. स. मय का पत्र
वास्तु पूरा नियत कार्यवाही हेतु दि. 2/3/18 का पेश हो।

9/3/18

वकील वादी एवं वादी स्वयं अनुपस्थित। आज
उन्हें इजलास वक्त तक बार बार हाथों लगाई गई
परन्तु उनकी धार से कोई उपस्थित इजलास नहीं
आया कि: सुकरन इदम पैरवी इदम हाजिरी के
स्वार्थ किया जाता है। मिसल फंडसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। बाह्य दफ्तर दाखिल हो।

हल

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

